XI गवर्नेंस, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न नवोन्मेषी आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने मानव संसाधनों को उन्नत बनाने के साथ-साथ जोखिम मॉडलिंग और जोखिम रिपोर्टिंग की क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में, प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण कारोबारी प्रकियाओं को सुरक्षित करने और कारोबारी निरंतरता, विशेष रूप से रिज़र्व बैंक के मानव संसाधनों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो गई।

XI.1 इस अध्याय में वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान गवर्नेंस, मानव संसाधन, जोखिम निगरानी और कॉर्पोरेट कार्यनीति के क्षेत्रों में हुई प्रगति के साथ-साथ और वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित की गई प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया है।

XI.2 वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव संसाधनों को नई भर्तियों, आंतरिक प्रशिक्षण, बाह्य प्रशिक्षण, करियर के मध्य में विकास कार्यक्रमों और ई-लर्निंग के माध्यम से सशक्त किया गया। वर्ष 2012 में अंगीकृत उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) फ्रेमवर्क के अंतर्गत समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जोखिम मॉडलिंग और जोखिम रिपोर्टिंग की क्षमताओं का विकास किया गया। रिज़र्व बैंक के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : डॉ बिमल जालान) की सिफारिशों के आधार पर बासेल III मानकीकृत दृष्टिकोण और क्रमशः विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो के क्रेडिट जोखिम (इसमें तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर भी शामिल है) और परिचालन जोखिम के लिए आर्थिक पूंजी के आकलन के लिए नई मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया गया। रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जोखिम निगरानी के लिए डैशबोर्ड तैयार किए गए। रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों में लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) में नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा का एक मॉड्यूल (सीएसएए) शुरू किया गया। निरीक्षण विभाग द्वारा उच्च मूल्य की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और गैर-आईटी परियोजनाओं के सही समय और लागत-प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन के लिए परियोजना लेखापरीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए।

XI.3 रिज़र्व बैंक के *"उत्कर्ष 2022"* नामक पहले मध्यावधि कार्यनीति दस्तावेज को जुलाई 2019 में जारी किया गया जिसमें रिज़र्व बैंक के विजन,मिशन और मूल उद्देश्यों के विषय में बताया गया है। तथापि, कोविड-19 महामारी के फैलने से महत्वपूर्ण कारोबारी प्रक्रियाओं की सुरक्षा और रिज़र्व बैंक की कारोबारी निरंतरता, विशेष रूप से मानव संसाधनों की सुरक्षा और स्वास्थ्य उच्चतम प्राथमिकता रही। मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) ने रिज़र्व बैंक के सभी केंद्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में घर से कार्य करने (डब्लयूएफएच) की शुरुआत की और एक प्रभावी डब्लयूएफएच मॉडल निर्मित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा पालन की जाने वाली सक्षम और सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित एक दस्तावेज जारी किया। मानव संसाधन प्रबंध विभाग द्वारा रिज़र्व बैंक की आवासीय कालोनियों में आपदा से निपटने के लिए मानक परिचालन प्रकिया (एसओपी) तैयार किए गए जिसमें किसी भी आपदा से निपटने के लिए आधारभूत विवरण दिया गया है और कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) द्वारा कारोबारी निरंतरता योजना के लिए एसओपी तैयार किए गए। क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को उनके अधिकार-क्षेत्र में आने वाली आवासीय कालोनियों के लिए विशेष एसओपी तैयार करने के लिए कहा गया।

XI.4 इसके अतिरिक्त, राजभाषा विभाग ने वर्ष 2019-20 के दौरान हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन किया। परिसर विभाग ने रिज़र्व बैंक के भौतिक इंफ्रास्टक्चर के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन के अपने प्रयास जारी रखें। "हरित पहल" के

अंतर्गत रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों और आवासीय बिल्डिंगों में सौर ऊर्जा जनरेशन संयंत्रों के माध्यम नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, वर्षा जल संरक्षण प्रणाली, सीवरेज उपचार और अवशिष्ट जल उपचार प्रणालियां संस्थापित की गई। रिज़र्व बैंक की सभी नई निर्माण परियोजनाओं को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) द्वारा "ग्रीन कंप्लायंट" के रूप में प्रमाणित किया गया है।

XI.5 इस अध्याय को नौ खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड रिज़र्व बैंक के कार्यों के संबंधित क्षेत्र में वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना निर्धारित करने के अलावा निष्कर्षो के साथ-साथ निर्धारित लक्ष्यों का मूल्यांकन करता है। इसके तत्काल बाद वाले खंड में रिज़र्व बैंक के गवर्नेंस ढांचे से संबंधित गतिविधियों के विषय में बताया गया है। खंड 3 में एचआरएमडी द्वारा मानव संसाधनों के क्षेत्र में वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जोखिम निगरानी फ्रेमवर्क और कार्यनीति से संबंधित गतिविधियां खंड 4 में दी गई है। वर्ष के दौरान निरीक्षण विभाग के कार्य-कलापों की चर्चा खंड 5 की गई है। सीएसबीडी जो रिज़र्व बैंक के लिए कार्यनीतियां और वार्षिक कार्ययोजनाएं बनाता और समन्वय करता है, का विवरण खंड 6 में शामिल है। राजभाषा विभाग और परिसर विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों को क्रमशः खंड 7 और 8 में दिया गया है। अंत में अध्याय का निष्कर्ष दिया गया है।

2. गवर्नेंस ढांचा

XI.6 केंद्रीय निदेशक बोर्ड रिज़र्व बैंक के गवर्नेंस ढांचे का शीर्ष निकाय है। इसमें अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, उप गवर्नर, केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक और सरकारी निदेशक होते हैं। देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए चार स्थानीय बोर्ड हैं जो स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देते हैं। भारत सरकार (जीओआई) भारतीय रिज़र्व बैक अधिनियम, 1934 के अनुसार केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों और स्थानीय बोर्डों में सदस्यों को नामित/नियुक्त करती है।

XI.7 केंद्रीय बोर्ड की सहायता के लिए तीन समितियां होती है: केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) तथा भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों के अध्यक्ष गवर्नर होते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड में पांच उप समितियां भी होती हैं: लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस), मानव संसाधन प्रबंधन समिति (एचआरएम-एससी), भवन उप-समिति (बीएससी) सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी) और कार्यनीति उप-समिति। इन उप समितियों की अध्यक्षता सामान्यतः बाह्य निदेशक ही करते हैं।

केंद्रीय बोर्ड और सीसीबी की बैठकें

XI.8 जुलाई –जून 2019-20 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की सात बैठकें नई दिल्ली (दो), मुबंई (दो), चंडीगढ़ और भुवनेश्वर में एक-एक और विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुंबई में एक बैठक आयोजित की गई। नई दिल्ली में बजट के बाद 8 जुलाई 2019 और 15 फरवरी 2020 को आयोजित बैठकों को वित्त मंत्री द्वारा संबोधित किया गया।

XI.9 जुलाई –जून 2019-20 के दौरान सीसीबी की 46 बैठकें हुई, जिनमें से 38 इलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई। सीसीबी ने रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक मामलों की विवरणियों को अनुमोदित करने के साथ-साथ इसके वर्तमान कारोबार की भी चर्चा की।

XI.10 पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों की जुलाई-जून 2019-20 के दौरान प्रत्येक की चार बैठकें आयोजित की गई। इस अवधि के दौरान आवश्यक कोरम पूरा नहीं होने के कारण दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी),

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), मुद्रा प्रबंधन और उन क्षेत्रों के मुद्दों की जांच करने के लिए वर्ष 2014-15 में केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति का गठन किया गया था जहां स्थानीय बोर्डों की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी। तदनुसार, जुलाई-जून 2019-20 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के एवज में दो बैठकें आयोजित की गई (केंद्रीय बोर्ड, इसकी समितियों और उप समितियों, स्थानीय बोर्डों और दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय बोर्ड की समिति की बैठकों में निदेशकों/सदस्यों की प्रतिभागिता का विवरण अनुबंध सारणी XI.1-5 में दिया गया है)

केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड

XI.11 डॉ. विरल वी. आचार्य ने दिनांक 23 जुलाई 2019 को उप गवर्नर का पद त्याग दिया।

XI.12 केंद्र सरकार ने 2 जुलाई 2019 को श्री एन.एस. विश्वनाथन को 3 जुलाई 2020 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया। श्री एन.एस. विश्वनाथन ने 31 मार्च 2020 को उप गवर्नर का पद त्याग दिया।

XI.13 केंद्र सरकार ने 14 जनवरी 2020 को डॉ. माइकल देबब्रत पात्र को 14 जनवरी 2023 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया।

XI.14 केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2020 को श्री बी.पी. कानूनगो को 2 अप्रैल 2020 को उनका मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने पर 3 अप्रैल 2020 से अगले एक वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया।

XI.15 केंद्र सरकार ने श्री सुभाष चंद्र गर्ग के स्थान पर श्री अतनु चक्रवर्ती, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 29 जुलाई 2019 से अगले आदेश तक भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया। श्री अतनु चक्रवर्ती ने 30 अप्रैल 2020 को पद त्याग दिया और उनके स्थान पर भारत सरकार ने श्री तरुण बजाज, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग को 5 मई 2020 से अगले आदेश तक भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

XI.16 केंद्र सरकार ने श्री राजीव कुमार के स्थान पर श्री देबाशीष पंडा, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 11 मार्च 2020 से अगले आदेश तक भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

XI.17 केंद्रीय बोर्ड के दो निदेशकों नामतः श्री भरत दोशी और श्री सुधीर मांकड का दिनांक 3 मार्च 2020 को कार्यकाल समाप्त हो गया। 20 जून 2020 को केंद्र सरकार ने श्री नटराजन चंद्रसेकरन को 3 मार्च 2020 से आगामी दो वर्षो के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के अंशकालिक गैर-अधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

कार्यपालक निदेशक

XI.18 कार्यपालक निदेशकों में, श्रीमती सुरेखा मरांडी 31 जुलाई 2019, श्रीमती उमा शंकर 31 अक्टूबर 2019, श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम 29 नवंबर 2019, श्रीमती मालविका सिन्हा और श्री एस. गणेश कुमार 28 फरवरी 2020, श्री दीपक मोहंती 29 मई 2020 और डॉ. जनक राज 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हो गए। श्रीमती नंदा एस. दवे को 1 जुलाई 2019 से, श्री अनिल कुमार शर्मा को 1 अगस्त 2019 से, श्री एस. सी. मुर्मू को 1 नवंबर 2019 से, श्री टी. रबि शंकर को 2 दिसंबर 2019 से, डॉ. जनक राज को 24 जनवरी 2020 से, श्री पी. विजय कुमार और श्रीमती इंद्राणी बनर्जी को 2 मार्च 2020 से, डॉ. ओ. पी. मल्ल को 1 जून 2020 से और डॉ. मृदुल कुमार

सागर को 1 जुलाई 2020 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया।

केंद्रीय बोर्ड से संबंधित गतिविधियां

XI.19 केंद्रीय बोर्ड द्वारा इसकी दिनांक 8 जुलाई 2019 को आयोजित बैठक में कार्यनीति उप-समिति के गठन को अनुमोदित कर दिया गया। यह उप समिति *"उत्कर्ष 2022"* में निर्धारित किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्यावधि कार्यनीति लक्ष्यों का नियंत्रण और निगरानी करेगी। यह कार्यनीति लक्ष्यों और माइलस्टोन और मध्यावधि कार्यनीति दस्तावेज की समीक्षा भी करेगी।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.20 विगत वर्ष में सचिव विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- बोर्ड और इसकी समितियों के साथ-साथ उच्च प्रबंधन की समितियों की सभी बैठकों के लिए नया सॉफ्टवेयर समाधान ढूंढना। (पैरा XI.21)

लक्ष्य के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.21 विभाग ने उचित सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के कार्यान्वयन द्वारा *उत्कर्ष* के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया।

3. मानव संसाधन विकास संबंधी पहलें

XI.22 मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) स्टाफ की दक्षता बढाने और कार्य के लिए अपेक्षित उनकी प्रभावकारिता हेतु कर्मचारियों की संभावित क्षमताओं का पता लगाकर टीमवर्क का एक वातावरण बनाने में एनेबलर और समन्वयक की भूमिका निभाता है। अपने दायित्व के रूप में, यह प्रशिक्षण, भर्ती और स्टाफ के कल्याण से संबंधित विभिन्न गतिविधियां करता है। वर्ष के दौरान इन और अन्य क्षेत्रों में की गई प्रमुख गतिविधियों को नीचे रेखांकित किया गया है।

वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.23 विगत वर्ष में विभाग ने *उत्कर्ष* के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक के अंदर कागज रहित, उपस्थिति रहित और नकदी रहित विस्तृत एचआर इंटरफेस की ओर आगे बढना (पैरा XI.24);
- एक पर्यवेक्षी और विनियामकीय संवर्ग स्थापित करने के लिए आधारभूत कार्य करना (पैरा XI.25);
- नियंत्रण और जांचों को कमजोर बनाए बिना अधिकतम दक्षता और प्रभावकारिता के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना (पैरा XI.26);
- अधिक संख्या में अनुसंधान उन्मुखी विश्लेषणात्मक पेपर्स के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षमता विकास करना (पैरा XI.27);
- विजन दस्तावेज का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए प्रशिक्षण नीति बनाना (पैरा XI.28); और
- संबंधित महत्वपूर्ण और उच्चतर भूमिकाओं के लिए अधिकारियों को तैयार करने हेतु उनका कौशल विकास (पैरा XI.29).।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.24 समाधान के सभी मॉड्यूल्स को वर्ष के दौरान लाइव कर दिया गया जिससे कि विस्तृत एचआर इंटरफेस के कागज रहित, उपस्थिति रहित और नकदी रहित रूप को आगे बढाया जा सके।

XI.25 विशेष पर्यवेक्षी एवं विनियामकीय संवर्ग (एसएसआरसी) स्थापित करने के लिए आधारभूत कार्य प्रारंभ किया गया और ग्रेड 'बी' और उससे ऊपर के अधिकारियों को नए संवर्ग के संबंध में अपनी पसंद बताने के लिए कहा गया।

XI.26 दिसंबर 2019 में संचालित की गई कारोबार प्रक्रिया रि-इंजीनियरिंग (बीपीआर) प्रयोग के भाग के रूप में क्षेत्रीय कार्यालयों से सुझावों के अधार पर आंतरिक प्रक्रियाओं, विवरणों और रिपोर्टों की संपूर्ण समीक्षा की गई और स्वीकृत परिवर्तनों के कार्यान्वयन को संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग (सीओडी) की निगरानी के अंतर्गत लिया गया।

XI.27 क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ डीईपीआर/डीएसआईएम के अधिकारियों को उनके कौशल संवर्धन के लिए प्रशिक्षणों में प्रतिनियुक्त किया गया जिससे स्थानीय मुद्दों पर बेहतर गुणवता वाले अनुसंधान में सहायता मिले।

XI.28 प्रशिक्षण सत्रों को अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बनाने के लिए की गई मुख्य पहलों में प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण फ्रेमवर्क का संशोधन, चयनित कार्यक्रमों का प्रभाव आकलन करना, ग्रेड 'ई' में पात्र अधिकारियों के लिए मिड-करियर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम स्तर-II (एमसीएमटीपी) शुरू करना और नए भर्ती ग्रेड 'बी' (सीधी भर्ती) के प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनर्निधारण शामिल है।

XI.29 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्य स्थल पर सतत संप्रेषण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। प्रभावी संप्रेषण पर सत्रों को रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित न्यूनतम तीन दिन की अवधि वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया और रिज़र्व बैंक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र पाठ्यक्रमों की सूची में जन संबोधन पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया गया।

प्रमुख गतिविधियां :

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.30 रिज़र्व बैंक का प्रशिक्षण ढांचा कर्मचारियों के तकनीकी और व्यावहारिक कौशल उन्नयन तथा व्यक्तिगत विकास की प्राप्ति के उद्देश्य से संचालित है जो दोनों कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हैं। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों और आंचलिक प्रशिक्षण केंद्रों (जेडटीसी) द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जो इस प्रयास में अग्रणी भूमिका अदा करते हैं (सारणी XI.1)।

आरबीआई अकादमी

XI.31 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अकादमी ने रिज़र्व बैंक के चयनित वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 'कनवर्सेशंस दट काउंट' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। वर्ष के दौरान एसबीआई फाउंडेशन के साथ सहयोग से दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए एक कार्यक्रम और ड्रक्टर इंस्टीट्यूट, यूएसए के साथ सहयोग से कर्मचारी इंगेजमेंट कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सारणी XI.1 : रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित कार्यक्रम*

प्रशिक्षण संस्थान	2017-18		2018-19		2019-20	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीआई अकादमी	18	620 (24)	22	546 (38)	21	476 (2)
आरबीएससी. चेन्नै	147	3,583 (281)	152	3,125 (499)	110	2,826 (85)
सीएबी, पुणे	184	6,488 (42)	179	5,542 (51)	126	3,891 (37)
जेडटीसी (श्रेणी-I)	115	2,271	116	2,271	92	1,667
जेडटीसी (श्रेणी-III)	100	2,109	76	1,877	94	2,648
जेडटीसी (श्रेणी-IV)	36	802	46	1,158	30	604

*: जुलाई -जून। आरबीएससी : रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय. सीएबी : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय।

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विदेशी प्रतिभागियों और/या बाह्या संस्थाओं के प्रतिभागियों से संबंधित हैं।

स्रोत : आरबीआई।

बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण

XI.32 रिज़र्व बैंक ने बाह्य संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए भारत और विदेश में स्थित संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण, सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया (सारणी XI.2)। श्रेणी III और IV के कर्मचारियों को भी भारत में स्थित बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

अध्ययन योजना

XI.33 रिज़र्व बैंक के चार अधिकारियों ने विदेशों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की योजना का लाभ उठाया (रिज़र्व बैंक गोल्डन जुबली योजना के अलावा)। रिज़र्व बैंक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुल 440 कर्मचारियों ने चयनित अंशकालिक/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

अन्य पहलें

ई-लर्निंग

XI.34 वर्ष 2019 में प्रशिक्षण पहलों की एक विशिष्ट विशेषता ई-लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करना था। ई-लर्निंग और मिश्रित लर्निंग दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के एक भाग के तौर पर फरवरी 2020 में आरबीआई अकादमी ने अपने लर्निंग प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) को लाइव कर दिया। एलएमएस के क्रिया-कलाप में पाठ्यक्रम चलाना, लाइव वेबिनार, विचार-विमर्श फोरम, ऑनलाइन मूल्यांकन और रिपोर्टिंग टूल्स शामिल है। इसे 'किसी भी समय, किसी भी स्थान और किसी भी गति' से अधिगम की विषय-वस्तु तक पहुंच से प्रतिभागियों की भागीदारी में सुधार होता है। मिश्रित लर्निंग दृष्टिकोण अनुदेशकों को अपने पाठ्यक्रम को इस प्रकार से व्यवस्थित करने का विकल्प प्रदान करती है कि मूलभूत अवधारणाओं को एलएमएस के माध्यम से पढाया जाता है और कक्षा में शिक्षण मामला अध्ययन, अनुकार और भूमिकाएं अदा करके अवधारणाओं के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै ने रिज़र्व बैंक के कार्य संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में 23 ई-लर्निंग पाठ्यक्रम पहले ही तैयार कर लिया है। आरबीआई अकादमी विश्व और भारत के अग्रणी संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा ऑफर किए जा रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

सारणी XI.2 : भारत और विदेश स्थित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाह्य संस्थान)	विदेश में प्रशिक्षित
1	2	3
2017 - 18	1,041	410
2018 - 19	952	378
2019 - 20	696	139

स्रोत : आरबीआई।

इंटर्नशिप योजना

XI.35 वर्ष के दौरान, ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप योजना के भाग के तौर पर 156 विद्यार्थियों को प्रशिक्षुता प्रदान की गई।

अनुदान और वृत्तिदान

XI.36 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹27.8 करोड़, उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र (कैफरल), मुंबई को ₹7.74 करोड़, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹3.48 करोड़ ; भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹1.03 करोड़ ; और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया आब्जर्वेटरी और आईजी पटेल चेयर को ₹0.67 करोड़ का वित्तीय अनुदान प्रदान किया। .

औद्योगिक संबंध

XI.37 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। रिज़र्व बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों/कामगारों की मान्यता-प्राप्त एसोसिएशनों/फेडरेशनों के साथ सेवा स्थितियों और कर्मचारी कल्याण के उपायों के विविध मामलों के संबंध में आवधिक बैठकें हुई। वर्ष के दौरान मानव संसाधन

सारणी XI.3: रिज़र्व बैंक द्वारा 2019 में की गई भर्तियां*

भर्ती की श्रेणी	श्रेणी-वार संख्या						
	कुल	*जिसमें से*			कुल का प्रतिशत		
		अ.जा.	अ.ज.जा	ओबीसी	अ.जा.	अ.ज.जा	ओबीसी
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी-I	194	28	10	61	14.43	5.15	31.44
श्रेणी-III	600	92	59	215	15.33	9.83	35.83
श्रेणी-IV							
(क) कार्यालय परिचारक	156	12	2	71	7.69	1.28	45.51
(ख) रखरखाव परिचारक	-	-	-	-	-	-	-
(ग) अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**950**	**132**	**71**	**347**	**13.89**	**7.47**	**36.53**

*: जनवरी से दिसंबर -: शून्य।

स्रोत : आरबीआई।

प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय ने मान्यता-प्राप्त यूनियन एसोसिएशन के साथ कुल आठ बैठकें की। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी तिमाही/अर्ध-वार्षिक अंतराल पर मान्यता-प्राप्त ट्रेड यूनियनों की स्थानीय इकाइयों के साथ भी बैठकें आयोजित की।

आरबीआई नीति चुनौती

XI.38 स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच मौद्रिक नीति बनाने के संबंध में ज्ञान संवर्धन के लिए डिजाइन की गई आरबीआई नीति चुनौती का पांचवां संस्करण अगस्त 2019 में प्रारंभ हुआ। देशभर के शैक्षणिक संस्थानों से 250 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई। प्रबंधन प्रौद्योगिक संस्थान, गाजियाबाद (उत्तरी क्षेत्र), भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर (पश्चिमी क्षेत्र), श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ में हायर लर्निंग (दक्षिणी क्षेत्र), भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची (पूर्वी क्षेत्र) की टीमों ने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में होने वाले राष्ट्रीय फाइनल की पात्रता हासिल की। विजेताओं को ₹1 लाख के नकद पुरस्कार के साथ ट्राफी भी प्रदान की जायेगी। उन्हें रिज़र्व बैंक के साथ तीन महीने की अवधि के लिए इंटर्नशिप का विकल्प भी ऑफर किया गया।

भर्तियां और स्टाफ संख्या

XI.39 वर्ष 2019 (जनवरी से दिसंबर) के दौरान रिज़र्व बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कुल 950 कर्मचारियों की भर्ती की (सारणी XI.3)।

XI.40 31 दिसंबर 2019 को रिज़र्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या 13,456 थी, बडे स्तर पर सेवानिवृत्ति और श्रेणी III कर्मचारियों की भर्ती के फीडर चैनल पर कोर्ट केस होने के कारण एक वर्ष पहले की संख्या में 2.44 प्रतिशत की कमी आई है (सारणी XI.4)।

सारणी XI.4 : रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या*

श्रेणी	श्रेणी-वार संख्या								कुल संख्या का प्रतिशत		
	कुल संख्या		अ.जा.		अ.ज.जा		ओबीसी		अ.जा.	अ.ज.जा	ओबीसी
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी-I	6,522	6,670	988	1,051	415	435	949	1,147	15.76	6.52	17.20
श्रेणी-III	3,497	3,264	537	487	195	199	840	892	14.92	6.10	27.33
श्रेणी-IV	3,774	3,522	1,027	877	321	291	635	682	24.90	8.26	19.36
कुल	**13,793**	**13,456**	**2,552**	**2,415**	**931**	**925**	**2,424**	**2,721**	**17.95**	**6.87**	**20.22**

*: दिसंबर के अंत में

स्रोत : आरबीआई।

सारणी XI.5 : भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों की कुल संख्या (दिसंबर 2019 की समाप्ति पर)

श्रेणी	कुल संख्या	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	पीडब्ल्यूडी दिव्यांग			
			दृष्टिबाधित (वीआई)	बधिर (एचआई)	शारीरिक विकलांगता (ओएच)	बौद्धिक दिव्यांगता** (आईडी)
1	2	3	4	5	6	7
श्रेणी-I	6,670	212	38	3	118	-
श्रेणी-III	3,264	168	35	7	60	4
श्रेणी-IV	3,522	567	8	3	57	-

-: शून्य।

**दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार बौद्धिक दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें बौद्धिक कार्यशीलता (तार्किकता, अधिगम और समस्या समाधान) और अनुकूलनीय व्यवहार दोनों में विशिष्ट रूप में बाधित होते हैं जो 'विशेष अधिगम अक्षमता' और 'स्वलीनता (ऑटिज्म) स्प्रैक्ट्रम डिस्ऑर्डर' सहित प्रतिदिन के सामाजिक और व्यवहारिक कौशल शामिल है।

स्रोत : आरबीआई।

XI.41 30 जून 2020 को रिज़र्व बैंक के पूर्ण कालिक कर्मचारियों की कुल संख्या 12,811 थी। इनमें से श्रेणी I में 6,412, श्रेणी III में 3,145 और श्रेणी IV में 3,254 कर्मचारी थे।

XI.42 वर्ष 2019 (जनवरी से दिसंबर) के दौरान, प्रबंधन और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बुद्धिस्ट फेडरेशन के बीच रिज़र्व बैंक में आरक्षण नीति लागू करने के संबंध में विचार-विमर्श के लिए चार बैठकें आयोजित की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एसोसिएशन के प्रतिनिधियों साथ भी दो बैठकें आयोजित की गई।

XI.43 दिसंबर 2019 की समाप्ति पर रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 947 थी जबकि दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 333 थी (सारणी XI.5)।

सारणी XI.6 : वर्ष 2019 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों की भर्ती*

श्रेणी	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	पीडब्ल्यूडी दिव्यांग			
		दृष्टिबाधित (वीआई)	बधिर (एचआई)	शारीरिक विकलांग (ओएच)	बौद्धिक दिव्यांग (आईडी)
1	2	3	4	5	6
श्रेणी-I	-	1	-	-	-
श्रेणी-III	1	6	-	5	-
श्रेणी-IV	122	-	-	1	-

*: जनवरी से दिसंबर। -: शून्य।

स्रोत : आरबीआई।

XI.44 वर्ष के दौरान कुल 123 भूतपूर्व सैनिकों और 13 दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्लयूडी) की भर्ती की गई (सारणी XI.6)।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

XI.45 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक औपचारिक शिकायत निपटान प्रणाली वर्ष 1998 से कार्य कर रही है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और समाधान) अधिनियम और नियम 2013 के अनुसार वर्ष 2014-15 में नए विस्तृत दिशा-निर्देशों के जारी होने से इसको सुदृढ किया गया है। जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान दो शिकायतें प्राप्त हुई और एक को निपटा दिया गया। जनवरी-जून 2020 के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई जिस पर कार्रवाई की जा रही है। नए भर्ती कर्मचारियों, वेंडरों और संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों सहित सभी स्टाफ-सदस्यों को जागरूक बनाने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निपटान' विषय पर 8वां अखिल भारतीय सम्मलेन 21-23 फरवरी 2020 को इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई जिसमें शिकायत समितियों के 35 सदस्यों के साथ-साथ केंद्रीय शिकायत समिति ने भी भाग लिया।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.46 सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को 2019-20 के दौरान सूचना के लिए 17094 अनुरोध और 1475 अपीलें प्राप्त हुई । वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै और आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र, चेन्नै द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए ।

कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया

XI.47 मार्च 2020 से विभाग ने महामारी के दौरान कारोबारी निरंतरता बनाए रखने के प्रयास और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाएं । कुछ प्रमुख पहलों में ऑफसाइट लोकेशन से महत्वपूर्ण कार्यो के संबंध में प्रतिनियुक्त स्टाफ के लिए स्थितियां आसान बनाना; रिज़र्व बैंक के सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में घर से कार्य (डब्लयूएफएच) प्रारंभ करने के साथ-साथ प्रभावी डब्लयूएफएच मॉडल निर्मित करने के लिए पालन की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं और दक्षता के मानकों का एक दस्तावेज जारी करना; कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों से निपटने के लिए सीओडी/आरओ के विभिन्न स्टेकहोल्डर्स द्वारा पालन की जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रिया जारी करना; कोविड-19 संबंधी मामलों के संगरोध के उद्देश्य से चुनिंदा शहरों में होटल के कमरें प्रदान करने के लिए मैसर्स अपोलो हॉस्पिटल के साथ व्यवस्था स्थापित करना शामिल है । रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों को स्टाफ की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑनलाइन मोड अपनाने के लिए कहा गया । कार्यालय परिसरों के साथ-साथ बैंक की आवासीय कालोनियों में भी सैनिटाइजेशन संबंधी उपायों को बढ़ाने और पारस्परिक दूरी सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया ।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

XI.48 वर्ष के लिए रोडमैप में उत्कर्ष के अंतर्गत विभाग के लिए निम्नलिखित माइलस्टोन शामिल किए गए है:

- कार्य-निष्पादन प्रणाली और वर्तमान प्रशिक्षण नीति की समीक्षा करना;
- विशेष पर्यवेक्षी और विनियामक संवर्ग स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया जारी रखना; और
- अधिकारियों के चुनिंदा वर्ग के लिए दक्षता मैपिंग फ्रेमवर्क डिजाइन करना

4. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रंबधन

XI.49 रिज़र्व बैंक द्वारा उद्यम-व्यापी जोखिम प्रंबधन (ईआरएम) को वर्ष 2012 में जोखिम एक्सपोजरों के प्रबंधन के लिए समेकित मूल्यांकन विकसित करने, जोखिम प्रबंधन के लिए से 'साइलो आधारित' दृष्टिकोण से 'संपूर्ण कारोबार' दृष्टिकोण को अपनाया गया था । रिज़र्व बैंक में ईआरएम के निर्माण और परिचालन के लिए जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) नोडल विभाग है ।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना – कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.50 विगत वर्ष में विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे:

- रिज़र्व बैंक में क्रेडिट जोखिम और परिचालन जोखिम की मॉडलिंग (पैरा XI.51); और
- जोखिम रिपोर्टिंग के लिए जोखिम डैशबोर्ड तैयार करना (पैरा XI.52) ।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

क्रेडिट जोखिम और परिचालन जोखिम मॉडलिंग

XI.51 रिज़र्व बैंक के पूर्व आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत, क्रेडिट जोखिम का आकलन संशोधित बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करके किया जाता था, वहीं परिचालन जोखिम का आकलन बासेल II बेसिक इंडीकेटर एप्रोच (बीआईए) का प्रयोग करके किया जा रहा था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक की आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. बिमल जालान) की

सिफारिशों क्रमशः बासेल III मानकीकृत दृष्टिकोण, फॉरेक्स क्रेडिट जोखिम (जिसमें तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर भी शामिल है) और परिचालन जोखिम हेतु आर्थिक पूंजी का आकलन करने के लिए नई मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने संबंधी सिफारिशों को रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया। नई मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए आर्थिक पूंजी का आकलन रिज़र्व बैंक के वास्तविक परिचालन हानि आंकड़े पर आधारित होगा। नए अपनाए गए आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्रेडिट और परिचालन जोखिम से पर्याप्त आर्थिक पूंजी रखकर/जोखिम प्रावधानों से निपटा जायेगा ताकि इन जोखिमों को सहन किया जा सकें।

जोखिम रिपोर्टिंग के लिए जोखिम डैशबोर्ड

XI.52 उच्च प्रबंधन को जोखिम रिपोर्टिंग में सुधार और जोखिम निगरानी की बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्य परिचालन जोखिम क्षेत्रों के लिए जोखिम डैशबोर्ड तैयार किया गया। रिज़र्व बैंक के कार्यों से संबंधित मुख्य जोखिम क्षेत्रों की पहचान की गई है और चिन्हित जोखिमों के आकलन के लिए विभिन्न मानकों को मिलाकर जोखिम डैशबोर्ड स्थापित किया गया है और इनकी आवधिक निगरानी की जा रही है।

कोविड-19 महामारी का प्रभाव

XI.53 सामान्य से अधिक तुलन-पत्र विस्तार, हाल में उठाए गए नीतिगत कदमों और कोविड-19 महामारी फैलने के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए चलनिधि का अंतर्वेशन संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अपेक्षित जोखिम प्रावधान (नए अपनाए गए आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के अनुसार) पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष उच्चतर थे।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

XI.54 वर्ष के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं:

- मौजूदा जोखिम वहनीयता फ्रेमवर्क की समीक्षा *(उत्कर्ष)* ;
- क्रेडिट जोखिम *(उत्कर्ष)* प्रभावी निगरानी को सुगम बनाने के उद्देश्य से जोखिम/अपेक्षित कमी पर क्रेडिट मूल्य (वीएआर/ईएस) आधारित एक पोर्टफोलियो मॉडल को एक अतिरिक्त जोखिम निगरानी/रिपोर्टिंग टूल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- रिज़र्व बैंक के क्रेडिट जोखिम के सुदृढ़ आकलन के लिए एक दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है।

5. आंतिरक लेखापरीक्षा/निरीक्षण

XI.55 निरीक्षण विभाग रिज़र्व बैंक के आंतरिक नियंत्रण और गवर्नेंस प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है और जोखिम आधारित लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के अंतर्गत उच्च प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड को जोखिम से निपटने का आवश्वासन देता है। यह केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति (एआरएमएस) और आंतरिक लेखापरीक्षा की निगरानी करने वाली कार्यपालक निदेशकों की समिति (ईडीसी) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2091-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.56 विगत वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- लेखापरीक्षा आस्ति प्रबंधन एवं जोखिम निगरानी प्रबंधन (एएमआरएमएस) एप्लीकेशन में आरबीआईए, समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) और स्व मूल्यांकन नियंत्रण लेखापरीक्षा (सीएसएए) एप्लीकेशन सफलतापूर्वक प्रारंभ होने के बाद पूरे रिज़र्व बैंक में ज्ञान और क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करना *(उत्कर्ष)* [पैरा XI.57];

- परिचालन जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन प्रणाली (आरएएम-ओआर) और आरबीआईए के संबंध में निरीक्षण विभाग की प्रणाली के अनुसार जोखिम रेटिंग की 80 प्रतिशत अभिसारिता प्राप्त करने का प्रयास करना *(उत्कर्ष)* [पैरा XI.57];
- पूरे रिज़र्व बैंक में परियोजना लेखापरीक्षा प्रारंभ करना *(उत्कर्ष)* [पैरा XI.58]; और
- आरबीआईए के लिए जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग प्रणाली की समीक्षा करना (पैरा XI.60)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.57 वर्ष के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों में एएमआरएमएस में सीएसएए मॉड्यूल की शुरुआत से लेखापरीक्षा प्रक्रिया को स्वचालित बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। एएमआरएमएस अब आरबीआईए, समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) और सीएसएए संबंधी कार्यों अर्थात लेखापरीक्षा की योजना बनाना और निष्पादन करना, लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग में एकरूपता और मानकीकरण, प्रस्तुति; संसाधन और अनुपालन की निगरानी; मुख्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के आंकड़ों का विश्लेषण और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड, दस्तावेजीकरण और अभिलेख प्रबंधन , और एक समेकित तरीके से चेतावनी आदि कार्यों के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करता है। एएमआरएमएस ने आंतरिक लेखापरीक्षा में संवर्धित गुणवता, परिचालन दक्षता, गोपनीयता, साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग, कागज रहित वातावरण (कम कार्बन फुटप्रिंट) और स्ट्रेट-थ्रू-प्रोससिंग(एसटीपी) द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा परिचालनों, जोखिम प्रबंधन और जोखिम आश्वासन में तालमेल स्थापित किया है। रिज़र्व बैंक के सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थानों और सहयोगी संस्थानों को शामिल करते हुए प्रयोक्ता कार्यशालाएं आयोजित की गई। आरबीआईए की टिप्पणियों का गुणवतात्मक तरीके से सतत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रारंभ की गई। विभाग ने आरबीआईए के संबंध में आरएएम-ओआर के अनुसार जोखिम रेटिंग के साथ लक्षित अभिसारिता प्राप्त की है।

परियोजना लेखापरीक्षा

XI.58 परियोजना लेखापरीक्षा पिछले कुछ समय में केंद्रीय बैंकों द्वारा इसके अपनाने के बढ़ते चलन के कारण महत्वपूर्ण हो गई है। यह एक स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ जोखिम आकलन कार्य है जिसके अंतर्गत हितधारकों के कार्य-निष्पादन, स्वामित्व के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं के परियोजना की लागत, समय और प्रदेय वस्तु; प्रभाविता और दक्षता के मापन; न्यासीय अपेक्षाओं जैसे कि सूचना की विश्वसनीयता, आंतरिक और बाह्य पॉलिसियों और नियमों के अनुपालन; और परियोजना प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसरण से संबंधित जोखिमों का आकलन किया जाता है। परियोजना लेखापरीक्षा व्यवहार्यता, परियोजना के कार्यान्वयन में कमी/त्रुटि का पता लगाने में सहायता प्रदान करता है और लागत और समय बचाने के लिए सही मार्ग बताती है। वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण गतिविधि रिज़र्व बैंक में उच्च मूल्य की आईटी और गैर-आईटी परियोजनाओं के समयबद्ध और लागत-प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परियोजना लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश जारी करना रही।

XI.59 देशभर में कोविड-19 फैलने के कारण लगाए गए प्रतिबंधों ने आरबीआईए और परियोजना लेखापरीक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

XI.60 सभी लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाइयों में जोखिम का वस्तुनिष्ठ और अधिक वास्तविक आकलन करने के लिए आरबीआईए जोखिम स्कोरिंग/रेटिंग प्रणाली का समीक्षा भी की गई। संशोधित प्रणाली से आरबीआईए करने की आवधिकता के निर्धारण के संबंध में प्रभावी निर्णय लेने, अधिक व्यापक जोखिम मैपिंग और समकक्ष तुलना, जोखिम प्रोफाइल, आकार और कार्य के स्वरूप में लेखापरीक्षा किए जाने वाले कार्यालयों की श्रेणी बनाने को सुगम बनायेगी।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

XI.61 वर्ष के दौरान विभाग निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- रिज़र्व बैंक की सभी चिन्हित उच्च मूल्य आईटी और गैर आईटी परियोजनाओं के लिए परियोजना लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन करना *(उत्कर्ष)* ;
- आरबीआईए के संबंध में आरएएम-ओआर के अनुसार जोखिम रेटिंग की संवर्धित अभिसारिता *(उत्कर्ष)* ;
- एआरएमएस और उच्च प्रबंधन को प्रभावी जोखिम आश्वासन के लिए एएमआरएमएस डेटा माइनिंग, विश्लेषण और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्टिंग डैशबोर्ड क्षमताओं को लीवरेज करना । *(उत्कर्ष)* ;
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान और क्षमता का विकास करना *(उत्कर्ष)* ; और
- रिज़र्व बैंक में संशोधित जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग प्रणाली का कार्यान्वयन करना ।

6. कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

XI.62 कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) रिज़र्व बैंक की कार्यनीतियों का निर्माण और समन्वय करता है, इसका वार्षिक बजट तैयार करता है और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए इसके व्यय की निगरानी भी करता है । विभाग संकट के समय के लिए सुदृढ कारोबारी निरंतरता योजनाओं के लिए भी उत्तरदायी होता है। यह बाह्य वित्तपोषित संस्थानों (ईएफआई) के गवर्नेंस के लिए भी जिम्मेवार है ।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.63 विगत वर्ष विभाग द्वारा उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे:

- लक्षित और वास्तविक प्राप्ति के बीच अंतर, कार्यनीति और बजट दोनों के संबंध में अंतर को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण कार्यों में सुधार करना (पैरा XI.64);
- कार्यनीति कार्यान्वयन की निगरानी हेतु शीर्ष स्तर के लिए केंद्रीय बोर्ड की उप समिति की स्थापना करना (पैरा XI.65); और
- कार्यनीति लक्ष्यों को संभावित गैर-प्राप्ति के लिए शीघ्र चेतावनी देने हेतु डैशबोर्ड विकसित करना (पैरा XI.66) ।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.64 वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठनात्मक उद्देश्य की सीमा के अंदर व्यय को युक्तिसंगत बनाने के लिए बजटीय और व्यय प्रक्रियाओं में ओवरहोलिंग द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को प्रबलित किया गया । पूंजी व्यय के कम उपयोग से निपटने के लिए एक नया फ्रेमवर्क लागू किया गया। यह फ्रेमवर्क रिज़र्व बैंक के वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू होगा और इसमें विगत पांच वर्षों के वास्तविक उपयोग के तीन वर्षों के चल औसत के संबंध में व्यय की निगरानी करता है। किसी अप्रत्याशित आपात स्थिति से पूंजी व्यय बफर द्वारा निपटा जायेगा जो वैश्विक आपात व्यवस्था है और नियमित बजट का भाग नहीं है ।

XI.65 रिज़र्व बैंक के मध्यावधि कार्यनीति फ्रेमवर्क - उत्कर्ष 2022 के अंतर्गत माइलस्टोनों की नियमित निगरानी के लिए केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की एक कार्यनीति उप-समिति का गठन किया गया। विभाग कार्यनीति उप समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है । उत्कर्ष के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान माइलस्टोन के संबंध में प्राप्त की गई प्रगति को बॉक्स XI.1 में दिया गया है ।

XI.66 कार्यनीति कार्यान्यवन की केंद्रीयकृत निगरानी के लिए डैशबोर्ड बनाने का कार्य आरंभ हो गया है । इससे कार्यनीति लक्ष्यों की संभावित गैर-प्राप्ति की स्थिति में पूर्व चेतावनी प्राप्त होगी ।

बॉक्स XI.1
कार्यनीति फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की स्थिति – *उत्कर्ष 2022*

जुलाई 2019 में रिज़र्व बैंक ने *"उत्कर्ष 2022"* के नाम से अपना मध्यावधि कार्यनीति फ्रेमवर्क शुरू किया जिसमें अपने मिशन वक्तव्य, मूल उद्देश्य और मूल्य को पुनः स्पष्ट रूप से बताया गया और अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए 153 लक्ष्य और 358 माइलस्टोन निर्धारित किए गए। इन लक्ष्यों और माइलस्टोनों को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मध्यावधि विजन में फीड किया गया:

- विजन 1: सांविधिक और अन्य कार्यों के निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करना
- विजन 2: रिज़र्व बैंक के प्रति नागरिकों और अन्य संस्थाओं के विश्वास को सुदृढ़ करना
- विजन 3: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भूमिकों की प्रासंगिकता और महत्व को बढाना
- विजन 4: पारदर्शित, जवाबदेही, और मूल्यों पर आधारित आंतरिक गवर्नेंस।
- विजन 5: पर्यावरण अनुकूल होने के साथ- अपने वर्ग में सर्वोत्तम डिजिटल एवं भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- विजन 6: नवोन्मेषी, गतिशील और कुशल मानव संसाधन।

मध्यमावधि लक्ष्य निर्धारित करते समय रिज़र्व बैंक ने गतिशील और तेजी से बदलते वातावरण का ध्यान रखा है जिसमें केंद्रीय बैंक कार्य करता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान कार्यनीति फ्रेमवर्क को संवेदी और समावेशी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए जैसे कि सीओडी और आरओ में *'उत्कर्ष 2022'* विवरणिका का वितरण, माइलस्टोनों को प्राप्त करने के लिए पालन की जाने वाली पद्धति निर्धारित करने के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग और बैठकें आयोजित करना; *'उत्कर्ष 2022'* पर दिसंबर 2019 में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ज़ेडटीसी, बेलापुर में और फरवरी 2020 में केंद्रीय कार्यालय विभागों के लिए सीएबी, पुणे में कार्यशालाएं आयोजित करना; और जनवरी 2020 में सीएसबीडी के वार्षिक सम्मेलन को भी *'उत्कर्ष 2022'* थीम पर आयोजित करना।

'उत्कर्ष 2022' के कार्यान्यवन का मार्गदर्शन और निगरानी केंद्रीय बोर्ड की उप-समिति नामतः कार्यनीति उप-समिति (अध्यक्ष: डॉ. पी.के. मोहंती) द्वारा की जा रही है। माइलस्टोनों की निगरानी प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) फ्रेमवर्क के माध्यम से की जाती है। केपीआई फ्रेमवर्क माइलस्टोनों के कार्यान्वयन के गुणात्मक आकलन के साथ-साथ माइलस्टोनों को बनाए रखने की निगरानी में भी सहायता करेगा। इसके अलावा, कार्यनीति कार्यान्यवन की केंद्रीयकृत निगरानी के लिए डैशबोर्ड का कार्य भी प्रारंभ हो गया है।

अप्रत्याशित कोविड-19 महामारी ने निर्धारित किए गए माइलस्टोनों को प्राप्त करने में चुनौती पेश की फिर भी वर्ष के दौरान 199 में से 112 माइलस्टोनों का पूरी तरह कार्यान्वयन कर दिया गया (चार्ट 1)।

चार्ट 1 : माइलस्टोन पूरे होने की स्थिति
(जून 2020 की समाप्ति पर)

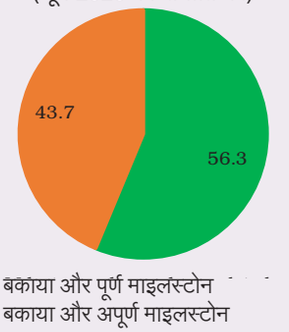

स्रोत : आरबीआई।

XI.67 रिज़र्व बैंक के कारोबारी निरंतरता प्रबंधन के नोडल विभाग के रूप में सीएसबीडी ने कोविड-19 महामारी से निपटने में अग्रणी भूमिका अदा की (बॉक्स XI.2)। बीसीएम फ्रेमवर्क को सुदृढ बनाने के लिए वर्ष के दौरान एक बीसीएम मैनुअल और बीसीपी को लागू करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार किए गए। रिज़र्व बैंक इंट्रानेट का उद्यम विषय-वस्तु प्रंबधन प्रणाली (ईसीएमएस) पोर्टल मुख्य रिसोर्स व्यक्तियों के प्रोफाइल सहित बीसीएम संबंधी सूचना का तीव्र प्रसार करता है। कोविड-19 फैलने के चलते लगाए गए लॉकडाउन के उपरांत विभाग घर से कार्य आधार पर कार्य कर रहा था और कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) संबंधी लेनदेन करने के लिए आवधिक आधार पर विभाग के चुनिंदा अधिकारी ही कार्यालय आ रहे थे।

XI.68 बाह्य वित्तपोषित संस्थानों (ईएफआई) की निगरानी के भाग के तौर पर विभाग ने अपने गवर्निंग बोर्डों और उप-

बॉक्स XI.2
कोविड-19 महामारी के लिए आरबीआई की कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी)

कोविड -19 महामारी फैलने के प्रतिक्रिया स्वरुप में दिनांक 11 मार्च 2020 को रिज़र्व बैंक की कारोबारी निरंतरता समिति ने प्रशिक्षित कर्मिकों की कई टीम बनाने का निर्णय लिया जो रिज़र्व बैंक की समय-संवेदी महत्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) को पूरा कर सके। 17 मार्च 2020 को आयोजित उच्च स्तरीय आपदा प्रबंधन टीम (सीएमटी) ने यह निर्णय लिया कि सभी टीएससीए को करने के लिए एक वैकल्पिक कार्य क्षेत्र साइट (एडब्ल्यूएएस) स्थापित की जाएं। यह रिज़र्व बैंक के खारघर, नवी मुंबई स्थित डेटा सेंटर में स्थित थी जो मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र से बाहर थी तथा फिर भी लॉजिस्टिकली निकट थी। सीएमटी ने यह निर्णय लिया कि इन परिचालनों को करने के लिए समर्पित टीम को एकांत में एक रोगाणुरहित बिल्डिंग में रखा जाए। एक अन्य टीम को अल्पकालीन सूचना पर कार्य संभालने के लिए आपात उपयोगी स्थिति में रखा गया था।

महत्वपूर्ण कारोबारी प्रक्रियाएं सुरक्षित होने के साथ ही, विभाग और शाखा कार्यालय को 18 मार्च 2020 से ही घर से ही कार्य करना था और कार्यालय परिसरों में कम से कम कर्मचारी कर रहे थे। जब भारत सरकार ने 24 मार्च 2020 को 21 दिनों के लिए देशभर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया तो रिज़र्व बैंक पहले ही अपने एडब्लयूएएस से महत्वपूर्ण परिचालन कर रहा था और अन्य परिचालन घर से कार्य के आधार पर किए जा रहे थे। इसके साथ-साथ कार्यस्थलों पर वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहितयाती उपायों जैसे की सतहों की सफाई और सैनिटाइजेशन, फेस मास्कों और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग और पारस्परिक दूरी बनाए रखना इत्यादि को लागू किया गया। कर्मचारियों और उनके परिवारों को विभिन्न सरकारी निकायों और डब्लयूएचओ द्वारा जारी 'क्या करें और क्या ना करें' संबंधी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों के माध्यम से जागरूक करने के अलावा आवासीय कालोनियों में भी निजी स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को सुदृढ़ किया गया। इस मॉडल ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक की सहायता की है। उचित संशोधनों के साथ यह मॉडल भविष्य में आने वाली महामारियों से निपटने के लिए टेंपलेट का कार्य कर सकता है।

आंकड़ा केंद्रों (डीसी) के आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था की वित्तीय प्रणाली के लिए रिज़र्व बैंक के आधार को निर्मित करता है। महत्वपूर्ण प्रणालियों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए डीसी और आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को चालू रखने हेतु रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 के रूप में प्रकृति के जीरो-डे वर्जन मालवेयर से निपटने के लिए डीसी के संबंध में एकांत लोकेशन से कारोबारी रिजीलियंस/ निरंतरता योजनाओं को सक्रिय किया। आईटी, डेटा सेंटर, कारोबार विभागों, सेवा भागीदारों / एसोसिएटस के मानव संसाधनों सहित सुरक्षा, सपोर्ट और रखरखाव स्टाफ को संबंधित डीसी केंद्रों के पास एकांत में रखा गया था। इसके अतिरिक्त, परिचालनों के सुचारू रूप से चलने, स्टाफ, मुख्य संसाधनों, आपदा प्रबंधन समूह के लिए उपचारात्मक योजना के साथ तैयार रहने के लिए बीसीपी में निरंतर सुधार किए गए जबकि सभी को तेजी से बदलते वातावरण के एक्सपोजर से बचा कर रखा गया।

कोविड -19 के बीसीपी कार्यनीति के माध्यम से रिज़र्व बैंक की त्वरित और व्यापक प्रतिक्रिया मीडिया द्वारा तत्काल चर्चा की गई और इसकी बड़े स्तर पर रिपोर्टिंग की गई। प्रमुख राष्ट्रीय और वित्तीय दैनिक समाचार-पत्रों ने 'कोरोना महामारी के बीच आरबीआई ने केवल एक दिन में वार रूम स्थापित किया' 'देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वार रूम स्थापित' और 'सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आरबीआई की आपात योजना तैयार' जैसी हेडलाइनों के साथ इस कदम की रिपोर्टिंग की।

कोविड-19 के संबंध में रिज़र्व बैंक की बीसीपी कार्यनीति से सीख लेते हुए कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने भी इसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित की। लॉकडाउन के दौरान एनईएफटी/आरटीजीएस, एटीएम और सामान्य बैंकिंग सेवाओं के अबाधित रूप से कार्य करना वित्तीय प्रणाली के विभिन्न स्टेकहोल्डर्स द्वारा ऐसे त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया के कारण ही संभव हो पाया।

स्रोत: आरबीआई

समितियों के साथ बैठकों, उनकी समीक्षा समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन और रिक्ति होने पर निदेशकों के चयन के माध्यम से उनके गवर्नेंस को सुदृढ करना जारी रखा।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

XI.69 वर्ष के लिए विभाग की कार्ययोजना में निम्नलिखित शामिल है:

- कार्यनीतिगत लक्ष्यों/माइलस्टोन के कार्यान्वयन की निगरानी और आकलन करने के लिए मुख्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) पर आधारित फ्रेमवर्क लागू करने के लिए डैशबोर्ड को परिचालन में लाना *(उत्कर्ष)* ;
- ईएफआई की आंतरिक गवर्नेंस को सुदृढ़ करना; और
- आईजीआईडीआर और कैफरल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) का इन संस्थानों के साथ सहयोग को बढाने के लक्ष्य के साथ नवीनीकरण करना।

7. राजभाषा

XI.70 राजभाषा विभाग को रिज़र्व बैंक में राजभाषा अधिनियम, 1963 का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसमें भारत सरकार और संसदीय राजभाषा समिति के अनुदेशो के अनुसार केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जा रही कई गतिविधियां शामिल है । विभाग केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों को सहायता प्रदान करता है और रिज़र्व बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ समन्वय स्थापित करता है ।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजनाः कार्यान्वयन स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य

XI.71 विगत वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली का कार्यान्वयन (पैरा XI.72); और
- एक ई-बुक संकाय सदस्यों के लिए 'हिंदी कार्यशाला संबंधित प्रशिक्षण सामग्री' का प्रकाशन करना (पैरा XI.73) ।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली

XI.72 एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआरएस) रिज़र्व बैंक में हिंदी के प्रयोग से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित, संसाधित, रिपोर्ट और स्टोर करने के लिए एक पैकेज है । आईआरआरएस राजभाषा विभाग को सरकार सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर समीक्षा और प्रस्तुति के लिए उपयोग हेतु हिंदी के प्रयोग संबंधी आंकड़ों के संग्रहण और प्रसार के मिशन को सहायता प्रदान करता है । 'न्यूनतम कागज' और वर्चुअल आंतरिक वर्कफ्लो को अपनाना एक कार्यनीति है जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी मध्यावधि कार्यनीति *'उत्कर्ष 2022'* को प्राप्त करने के लिए पालन किया जाता है और आईआरआरएस पैकेज ने इसकी ओर कदम बढाते हुए सकारात्मक माहौल तैयार किया है । विभिन्न रिपोर्टें जैसे कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, हिंदी सलाहकार समिति रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रिपोर्ट (नराकास) और हिंदी ज्ञान रोस्टर को इस पैकेज के माध्यम से सृजित किया जा सकता है और यह एक वर्चुअल प्लेटफार्म है। संसदीय राजभाषा समिति को प्रत्युतर देने में भी यह उपयोगी है । इस वर्ष आईआरआरएस पैकेज का एक मॉड्यूल लाइव हो गया जबकि अन्य मॉड्यूल्स के लिए कार्य चल रहा है ।

ई-बुक का प्रकाशन

XI.73 विभाग ने रिज़र्व बैंक के सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यशालाएं आयोजन में सहायता के लिए राजभाषा अधिकारियों के उपयोग हेतु 'हिंदी कार्यशाला के लिए प्रशिक्षण सामग्री' नाम से एक ई-बुक का जून 2020 में प्रकाशन किया ।

प्रमुख गतिविधियां

XI.74 वर्ष के दौरान, 146 स्टाफ-सदस्यों ने '*प्राज्ञ*[1]' परीक्षा और 190 ने '*पारंगत*[2]' परीक्षा पास की । कंप्यूटरों पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए स्टाफ-सदस्यों कंप्यूटरों पर हिंदी कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान पूरे रिज़र्व बैंक में 149 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसमें सीओडी और आरओ में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यशालाएं भी शामिल है, इससे हिंदी नोटिंग और पत्राचार में वृद्धि करने में सहायता मिली है ।

[1] यह परीक्षा उनके लिए आयोजित की जाती है जिनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है ।

[2] हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए उच्चतम परीक्षा ।

XI.75 केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए 'हिंदी पखवाड़ा', हिंदी समारोह और विभिन्न बैंकिंग विषयों पर हिंदी सेमिनारों, हिंदी में परिचर्चा और विभिन्न प्रतियोगिताओं व्यवस्था और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्ष 2019-20 के लिए कार्यनीति योजना के भाग के रूप में राजभाषा विभाग ने विभिन्न विभागों के लिए विशेष शब्दावलियां सफलतापूर्वक तैयार की। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हिंदी में कार्यालयीन नोटिंग का प्रकाशन पूरा हो चुका है और अद्यतन हिंदी कार्यशाला सामग्री का प्रकाशन अंतिम चरण में है। हिंदी पुस्तकालय का रखरखाव, हिंदी पत्रिकाओ का प्रकाशन, हिंदी दिवस समारोह आयोजित करने से संबंधित कार्य को सुव्यवस्थित बनाया गया।

प्रशिक्षण

XI.76 रिज़र्व बैंक के विजन वक्तव्य *'उत्कर्ष 2022'* जो वर्तमान और भावी चुनौतियों के लिए मानव संसाधन के कौशल उन्नयन के बारे में बताता है, के अनुसरण में राजभाषा अधिकारियों के एक बैच को प्रबंध विकास कार्यक्रम के अतंर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आरबीएससी, चेन्नै में विधिक दस्तावेजों, वित्तीय और बैंकिंग शब्दावलियों से संबंधित एक अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। रिज़र्व बैंक के निजी सचिवों के लिए सीएबी, पुणे में एक हिंदी कार्यशाला और राजभाषा अधिकारियों के लिए ज़ेडटीसी, कोलकाता में सामान्य बैंकिंग पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

प्रकाशन

XI.77 रिज़र्व बैंक के सांविधिक प्रकाशनों अर्थात् वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, मौद्रिक नीति रिपोर्ट और अन्य प्रकाशनों जैसे कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक और भारतीय रिज़र्व बैंक के मासिक बुलेटिनों को द्विभाषिक रुप में प्रकाशित किया गया और रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध थे। विभाग द्वारा बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन पत्रिका के अलावा रिज़र्व बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रस्तुत करने वाले राजभाषा समाचार का भी प्रकाशन किया गया। इन दोनों के मार्च 2020 के अर्ध-वार्षिक अद्यतन संस्करणों को कोविड-19 महामारी के बीच 'घर से कार्य' वातावरण में ई-फार्मेट में प्रकाशित किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों का अनुपालन

XI.78 संसदीय राजभाषा समिति हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करती है। रिज़र्व बैंक की केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस समिति को दिए गए आश्वासनों के अनुपालन की निगरानी करती है। वर्ष के दौरान, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय की निगरानी, अधिक से अधिक स्टाफ-सदस्यों को पारंगत का प्रशिक्षण देने, हिंदी संबंधी खाली पदों को भरने, संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा नराकास बैठकों में भाग लेने, और कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग को बढाने के लिए ठोस कदम उठाए गए।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

XI.79 वर्ष के दौरान विभाग की निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है :

- बैंकिंग शब्दावली को अद्यतन करना;
- वार्षिक कार्यक्रम और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों का कार्यान्यवन;
- हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभाग संबंधी विशेष शब्दालियां तैयार करना;
- कर्मचारियों में हिंदी संबंधी सृजनात्मकता को बढाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हिंदी पत्रिकाओं के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ करना ;
- हिंदी के प्रयोग संबंधी अद्यतन अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के संबंध में जानकारी देने के लिए केंद्रीय कार्यालय विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित करना; और

- बैंकिंग विषयों पर हिंदी व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन।

8. परिसर विभाग

XI.80 परिसर विभाग का विजन रिज़र्व बैंक के परिसरों में वास्तुशिल्पीय उत्कृष्टता और सौंदर्य अपील के समेकन से 'अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम' और पर्यावरण अनुकूल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के साथ ही उच्चतम स्तर की सफाई सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्यवन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.81 विगत वर्ष, विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे:

- कम से कम दो आवासीय भवनों के लिए जीआरआईएचए[3]/आईजीबीसी[4] से संबंधित ग्रीन रेटिंग प्राप्त करना *(उत्कर्ष)* [पैरा XI.82];
- ऊर्जा खपत का 1.5 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना *(उत्कर्ष)* [पैरा XI.82];
- 1.25 प्रतिशत ऊर्जा बचत प्राप्त करना *(उत्कर्ष)* [पैरा XI.82];
- 2.5 जल संरक्षण/बचत प्राप्त करना *(उत्कर्ष)* [पैरा XI.82];
- आरईबीआईटी के साथ सहयोग से माल सूची और आस्ति ट्रैकिंग को डिजिटाइज करना *(उत्कर्ष)* [पैरा XI.82];
- दिल्ली और चेन्नै क्वार्टर्स का निर्माण पूरा करना (पैरा XI.83);
- जम्मू आवासीय कालोनी की ड्राइंग को पूरी करना (पैरा XI.83); और
- देहरादून और नया रायपुर में नए कार्यालय भवनों और देहरादून में आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण प्रारंभ करना (पैरा XI.83)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.82 वर्ष 2019-20 में गतिविधियां विजन से प्रेरित थी क्योंकि विभाग इन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहा था। उत्कर्ष के अंतर्गत निर्धारित किए गए कई माइलस्टोनों को विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया। पहला, रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी दो आवासीय भवनों (बंगलुरू और हैदराबाद दोनों में एक-एक) के लिए 1 जनवरी 2020 को आईजीबीसी से ग्रीन रेटिंग प्राप्त करना रहा। दूसरा, रिज़र्व बैंक के सभी परिसरों में 1.5 ऊर्जा खपत नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने की तुलना में नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा खपत 3.34 प्रतिशत रही। तीसरा, रिज़र्व बैंक ने 1.25 के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 10.2 प्रतिशत ऊर्जा बचत प्राप्त की। अंत में, जल संरक्षण/बचत 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 5.62 प्रतिशत रही। हालांकि, माल सूची और आस्ति ट्रैकिंग प्रणाली को डिजिटलीकरण को निविदा प्रक्रिया के दौरान वेंडरों से उत्साहहीन प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण वर्ष के दौरान पूरा नहीं किया जा सका। इस ट्रैकिंग प्रणाली को दिसंबर 2020 तक वर्तमान वर्ष में पूरा किया जायेगा।

XI.83 हौज खास, दिल्ली और अन्ना नगर, चेन्नै में आवासीय परियोजनाओं का निर्माण पूरा होने के अग्रिम चरण में है। जम्मू में आवासीय कालोनी की ड्राइंग पूरी हो चुकी है। देहरादून में कार्यालय परिसर का निर्माण शुरू हो चुका है और नया रायपुर

[3] इंटीग्रेटिड हैबिटेट एसेसमेंट के लिए ग्रीन रेटिंग

[4] इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल

में कार्यालय परिसर और देहरादून में आवासीय परिसर का निर्माण योजना और अनुमोदन के अग्रिम स्तर पर है।

अन्य निर्माण गतिविधियां

XI.84 मुंबई में कैफरल के लिए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, परियोजना के संस्थागत भाग का आरसीसी ढांचागत कार्य पूरा हो गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लयूडी) के साथ जमा आधार पर जारी विभिन्न परियोजनाओं में इंफाल में कार्यालय परिसर का निर्माण (बाउंड्री की दीवार) प्रारंभ हो गया है। खारघर, नवी मुंबई (आवासीय परिसर), अगरतला (बाउंड्री वॉल) और रांची (बाउंड्री वॉल) में कार्यालय परिसर परियोजनाएं योजना और अनुमोदन के अग्रिम चरण में है।

रखरखाव गतिविधियां

XI.85 पूरे देश में स्थित रिज़र्व बैंक के आइकॉनिक कार्यालय और आवासीय भवनों के प्रभावी रखरखाव प्रबंधन के भाग के रूप में भवनों की सुरक्षा और सुदृढ़ता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए और इनकों वार्षिक विजुअल और रखरखाव निरीक्षण के माध्यम से लागू किया जा रहा है। रेट्रोफिटिंग या अन्यथा कार्य का निर्णय लेने के लिए ढांचागत लेखापरीक्षा (गैर-विनाशकारी परीक्षणों का प्रयोग करके) के माध्यम से ढांचों की स्थिति का आकलन किया गया।

कोविड-19 का प्रभाव

XI.86 कोविड-19 महामारी से संबधित लॉकडाउन और श्रमिकों के आने-जाने पर प्रतिबंध ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और रखरखाव कार्य को प्रभावित किया। तथापि, विभाग ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान रखरखाव कार्य और संबंधित कार्य के लिए कार्यालय आने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए संपर्करहित वातावरण सृजित करने के सभी आवश्यक प्रयास किए।

हरित पहल

XI.87 विभाग ने रिज़र्व बैंक में हरित पहल के रूप में कई उपाय किए। सभी नए भवनों की परियोजनाओं को आईजीबीसी द्वारा हरित अनुपालित भवन के रूप में प्रमाणित किया है। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न कार्यालयों और आवासीय कालोनियों में स्थापित सौर ऊर्जा जनरेशन संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा जनरेट की। सौर ऊर्जा जनरेशन क्षमता को मार्च 2019 के 1440 केडब्लयूपी से मार्च 2020 में 1910 केडब्लयूपी तक बढाया गया है जो जून 2020 में और बढ़कर 2034 केडब्लयूपी हो गया। जल संरक्षण और इसके प्रभावी उपयोग के लिए विभिन्न परिसरों में वर्षा जल संरक्षण, सीवेज उपचार और अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार, कई कार्यालय और आवासीय परिसरों में ऑर्गनिक अवशिष्ट कनवर्टर स्थापित किए गए हैं।

अन्य पहल

XI.88 पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के रिज़र्व बैंक के प्रयास और पर्यावरण अनुकूल सुस्थिर उत्पादों के प्रयोग की ओर बढ़ने के लिए विभाग ने सभी कार्यालयों में कार्यान्वयन के लिए रिज़र्व बैंक में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रयोग को बंद करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किया है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

XI.89 वर्ष के लिए, विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

- सभी नई भवन परियोजनाओं के अतिरिक्त कम से कम एक कार्यालय और पांच मौजूदा आवासीय भवनों के लिए जीआरआईएचए/आईजीबीसी से ग्रीन रेटिंग प्रमाणन प्राप्त करना *(उत्कर्ष)* ;
- नवीकरणीय स्रोतों से 3.0 प्रतिशत ऊर्जा खपत प्राप्त करना *(उत्कर्ष)* ;
- 2.5 प्रतिशत ऊर्जा बचत करना *(उत्कर्ष)* ;
- 5.0 प्रतिशत जल संरक्षण/बचत प्राप्त करना *(उत्कर्ष)*;
- माल सूची और आस्ति ट्रैकिंग को आरईबीआईटी के सहयोग से डिजिटल बनाना *(उत्कर्ष)* ;

- चेन्नै, मुंबई और दिल्ली की आवासीय परियोजनाओं को पूरा करना और अगरतला, इंफाल और रांची में बाउंड्री दीवार का निर्माण करना;
- नया रायपुर में कार्यालय परिसर और देहरादून, खारघर, नवी मुंबई और जम्मू में आवासीय परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ करना; और
- संविदा आर्किटेक्चर[5] की समीक्षा और संशोधन करना और परियोजना प्रबंधन टूल्स[6] का कार्यान्वयन।

9. निष्कर्ष

XI.90 संक्षेप में, इस अध्याय में रिज़र्व बैंक में गवर्नेंस, मानव संसाधन के क्षेत्रों से संबधित गतिविधियों और जोखिम निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए उपायों के संबंध में चर्चा की गई है। एचआरएमडी द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न नवोन्मेषी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधनों को उन्नयन किया गया। जहां राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया, वहीं परिसर विभाग ने पर्यावरण अनुकूल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के अपने प्रयास जारी रखें। इस अध्याय में वर्णित विभागों ने ना केवल वर्ष के लिए निर्धारित अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन किया अपितू वर्ष 2020-21 के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी निर्धारित की है। कोविड-19 के फैलने के साथ ही ने रिज़र्व बैंक ने अपनी महत्वपूर्ण कारोबारी प्रक्रियाओं को सुरक्षित और वित्तीय प्रणाली में कारोबारी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए तत्परतापूर्वक और व्यापक रूप से कदम उठाया।

[5] निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाने से लेकर समाप्ति तक को कवर करने वाले फ्रेमवर्क को संदर्भित

[6] ये सॉफ्टवेयर समाधान है जो परियोजनाओं की निगरानी और प्रभावी प्रबंधन में सहायता प्रदान करते हैं।

अनुबंध

सारणी XI.1: 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दौरान केंद्रीय निदेशक बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
शक्तिकान्त दास	8(1)(ए)	7	7
एन. एस. विश्वनाथन[x]	8(1)(ए)	6	4
विरल वी. आचार्य[@]	8(1)(ए)	1	1
बी. पी. कानूनगो	8(1)(ए)	7	6
महेश कुमार जैन	8(1)(ए)	7	7
माइकल देबब्रत पात्र[#]	8(1)(ए)	3	3
प्रसन्न कुमार मोहंती	8(1)(बी)	7	6
दिलीप एस. शंघवी	8(1)(बी)	7	5
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	7	7
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	7	6
नटराजन चंद्रसेखरन	8(1)(सी)	7	7
भरत एन. दोशी*	8(1)(सी)	6	6
सुधीर मांकड*	8(1)(सी)	6	6
अशोक गुलाटी	8(1)(सी)	7	5
मनीष सभरवाल	8(1)(सी)	7	7
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	7	6
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	7	5
सुभाष चंद्र गर्ग[$]	8(1)(डी)	1	1
अतनु चक्रवर्ती[^]	8(1)(डी)	5	3
राजीव कुमार[^^]	8(1)(डी)	6	5
देबाशीष पंडा[&]	8(1)(डी)	1	1
तरूण बजाज[%]	8(1)(डी)	1	1

X: 31 मार्च 2020 तक उप गवर्नर.
@: 23 जुलाई 2019 तक उप गवर्नर
#: 15 जनवरी 2020 से उप गवर्नर
*: 03 मार्च 2020 तक निदेशक
$: 29 जुलाई 2019 तक निदेशक
^: 29 जुलाई 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक निदेशक
^^: 28 फरवरी 2020 तक निदेशक
&: 11 मार्च 2020 से निदेशक
%: 5 मई 2020 से निदेशक

सारणी XI.2 : 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समितियों की बैठकों में उपस्थिति			
सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम,1934 के अंतर्गत नियुक्त /नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
I. केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी)			
शक्तिकान्त दास	8 (1) (ए)	46	43
एन. एस. विश्वनाथन$	8 (1) (ए)	34	20
विरल वी. आचार्य@	8 (1) (ए)	2	1
बी. पी. कानूनगो	8 (1) (ए)	46	33
महेश कुमार जैन	8 (1) (ए)	46	39
माइकल देबब्रत पात्र#	8 (1) (ए)	22	22
प्रसन्न कुमार मोहंती	8 (1) (बी)	13	13
दिलीप एस. शंघवी	8 (1) (बी)	16	14
रेवती अय्यर	8 (1) (बी)	16	16
सचिन चतुर्वेदी	8 (1) (बी)	16	10
नटराजन चंद्रसेकरन	8 (1) (सी)	9	1
भरत एन. दोशी.*	8 (1) (सी)	12	6
सुधीर मांकड*	8 (1) (सी)	10	9
अशोक गुलाटी	8 (1) (सी)	15	14
मनीष सभरवाल	8 (1) (सी)	17	15
सतीश काशीनाथ मराठे	8 (1) (सी)	16	8
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8 (1) (सी)	16	1
अतनु चक्रवर्ती^	8 (1) (डी)	23	23
तरूण बजाज%	8 (1) (डी)	7	7

@: 23 जुलाई 2019 तक उप गवर्नर #: 15 जनवरी 2020 से उप गवर्नर ^: 29 जुलाई 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक निदेशक

*: 03 मार्च 2020 तक निदेशक %: 05 मई 2020 से निदेशक $: 31 मार्च 2020 तक उप गवर्नर

II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)			
शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	8	8
महेश कुमार जैन	उपाध्यक्ष	8	8
एन. एस. विश्वनाथन$	सदस्य	7	5
बी पी कानूनगो	सदस्य	8	4
विरल वी. आचार्य#	सदस्य	1	1
माइकल देबब्रत पात्र*	सदस्य	2	2
भरत एन. दोशी@	सदस्य	7	6
सुधीर मांकड@	सदस्य	7	7
अशोक गुलाटी	सदस्य	8	7
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	8	6
सचिन चतुर्वेदी^	सदस्य	1	1

#: 23 जुलाई 2019 तक सदस्य *: 15 जनवरी 2020 से सदस्य @: 03 मार्च 2020 तक सदस्य

^: 14 मई 2020 से सदस्य $: 31 मार्च 2020 तक सदस्य

सारणी XI.2 : 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समितियों की बैठकों में उपस्थिति *(समाप्त)*			
सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम,1934 के अंतर्गत नियुक्त /नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
III. भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)			
शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	2	2
बी. पी. कानूनगो	उपाध्यक्ष	2	2
एन. एस. विश्वनाथन$	सदस्य	1	0
महेश कुमार जैन	सदस्य	2	2
माइकल देबब्रत पात्र*	सदस्य	1	1
नटराजन चंद्रसेकरन	सदस्य	1	0
मनीष सभरवाल	सदस्य	2	2

$: 31 मार्च 2020 तक सदस्य *: 15 जनवरी 2020 से सदस्य

सारणी XI.3 : 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दौरान बोर्ड की उप समितियों की बैठक में उपस्थिति			
सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/ नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
I. लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन उप समिति (एआरएमएस)			
भरत एन. दोशी@	अध्यक्ष	6	6
सुधीर मांकड@	सदस्य	6	6
रेवती अय्यर	सदस्य	6	5
एन. एस. विश्वानथन$	सदस्य	6	5
विरल वी. आचार्य#	आमंत्रित	1	1
बी पी कानूनगो	आमंत्रित	6	4
महेश कुमार जैन	आमंत्रित	6	6
माइकल देबब्रत पात्र	आमंत्रित	3	2
@: 03 मार्च 2020 तक सदस्य $: 31 मार्च 2020 तक सदस्य #: 23 जुलाई 2019 तक सदस्य			
II. भवन उप समिति (बीएससी)			
दिलीप एस. शंघवी	अध्यक्ष	1	1
प्रसन्न कुमार मोहंती	सदस्य	1	1
महेश कुमार जैन	सदस्य	1	1
III. मानव संसाधन प्रबंध उप समिति (एचआरएम-एससी)			
मनीष सभरवाल	अध्यक्ष	4	4
दिलीप शंघवी	सदस्य	4	2
महेश कुमार जैन	सदस्य	4	3
IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति (आईटी-एससी)			
मनीष सभरवाल	अध्यक्ष	3	3
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	3	3
बी.पी. कानूनगो	सदस्य	3	1
V. कार्यनीति उप-समिति			
प्रसन्न कुमार मोहंती	अध्यक्ष	1	1
मनीष सभरवाल	सदस्य	1	1
रेवती अय्यर	सदस्य	1	1
एन.एस. विश्वनाथन$	सदस्य	1	0
बी. पी. कानूनगो	सदस्य	1	1
महेश कुमार जैन	सदस्य	1	1
माइकल देबब्रत पात्र	सदस्य	1	1
$: 31 मार्च 2020 तक सदस्य			

सारणी XI.4: 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दौरान दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय निदेशक बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में उपस्थित

सदस्य का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3
प्रसन्न कुमार मोहंती, अध्यक्ष	2	2
सतीश काशीनाथ मराठे, सदस्य	2	2

सारणी XI.5 : 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दौरान स्थानीय बोर्डों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के / अंतर्गत नियुक्त /नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
सचिन चतुर्वेदी, ईएएलबी	धारा 9(1)	4	4
सुनील मित्रा, ईएएलबी	धारा 9(1)	4	4
दिलीप एस. शंघवी, डब्लयूएएलबी	धारा 9(1)	4	4
वी. आर. भानशाली, डब्लयूएएलबी	धारा 9(1)	4	4
रेवती अय्यर, एनएएलबी	धारा 9(1)	4	4
आर.एन.दुबे, एनएएलबी	धारा 9(1)	4	4
पी. के. मोहंती, एसएएलबी^	धारा 9(1)	0	0

ईएएलबी :- पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड। डब्लयूएएलबी: पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड।
एनएएलबी:- उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड। एसएएलबी : दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड।
^: एसएएलबी आवश्यक कोरम में कमी के कारण कार्य नहीं कर सका।